वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(17)/2008-PD

दिनांक/Dated: 04.02.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. **Sl. No.**	**कार्यालय ज्ञापन सं/ .** **Office Memorandum No.**	**विषय/** **Subject**
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 21/3/2020-ई.II (ख) दिनांक 01.12.2020 Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, OM No. 21/3/2020-E.II (B) Dated 01.12.2020	कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान परिवहन भत्ता के ग्राहयता के संबंध में स्पष्टीकरण Clarification regarding admissibility of Transport Allowance during Nation-wide Lockdown due to COVID-19 pandemic.

भवदीय/Yours faithfully

4.2.2021

(सिद्धार्थ दे / Siddhartha Dey)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)/US (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

सं.21/3/2020-ई.।।(ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 1 दिसंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान परिवहन भत्ता की ग्राह्यता के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 21/5/2017-ई.।।(ख) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें परिवहन भत्ते की ग्राह्यता के संबंध में शर्तों का उल्लेख किया गया है।

2. इस विभाग में कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च से 20 अप्रैल तक और उसके बाद आगे 20 मई 2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान परिवहन भत्ते की ग्राह्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए कई संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान अनेक कर्मचारी अपने कार्यालय नहीं आ सके थे।

3. इस विभाग में मामले पर विचार किया गया और निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है:

i. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उनके आवास से कार्यालय आने-जाने पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए परिवहन भत्ता दिया जाता है। केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरे कैलेण्डर माह कार्यालय नहीं आ सके थे, उस माह के लिए परिवहन भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि इन कर्मचारियों ने कार्यालय आने-जाने पर कोई व्यय नहीं किया था।

ii. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो कार्यालय नहीं आ सके थे और पूरे कैलेण्डर माह में घर से काम कर रहे थे, उस माह के लिए परिवहन भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि इन कर्मचारियों ने कार्यालय आने-जाने पर कोई व्यय नहीं किया था।

iii. दिव्यांग कर्मचारी तथा गर्भवती महिला कर्मचारी जिन्हें कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई थी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार छूट प्राप्त अवधि के दौरान घर से कार्य करने का निर्देश दिया गया था, छूट प्राप्त अवधि के दौरान परिवहन भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं क्योंकि इन कर्मचारियों ने कार्यालय आने-जाने पर कोई व्यय नहीं किया है।

iv. गैर-पात्र अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक परिवहन सुविधा की अनुपलब्धता के कारण पूरे कैलेण्डर माह के दौरान कार्यालय तथा आवास आने-जाने के लिए सरकारी गाड़ी की अस्थायी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, परिवहन भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

4. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक सूची के अनुसार)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रतिलिपि (मानक सूची के अनुसार)

No.21/3/2020-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

North Block, New Delhi.
Dated the 1st December, 2020.

OFFICE MEMORENDUM

Subject: Clarification regarding admissibility of Transport Allowance during Nation-wide Lockdown due to COVID-19 pandemic.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 21/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017 regarding grant of Transport Allowance to Central Government employees wherein conditions have been mentioned regarding admissibility of Transport Allowance.

2. Several references are being received in this Department seeking clarification regarding admissibility of Transport Allowance during nation-wide Lockdown from 23rd March to 20th April and further upto 20th May 2020 due to COVID-19 pandemic, as during this period various employees could not attend their offices.

3. The matter has been considered in this Department and the following is clarified:

i. Transport Allowance is granted to Central Government employees to compensate them for the cost incurred on account of commuting between residence and office. The Central Government employees, who could not attend office in a whole calendar month during Lockdown period, are not eligible to draw Transport Allowance for that month as these employees had not incurred any expenditure for commuting office.

ii. The Central Government employees, who could not attend office and worked from home in a whole calendar month, are not eligible to draw Transport Allowance for that month as these employees had not incurred any expenditure for commuting office.

iii. Physically disabled employees and pregnant women employees who were exempted to attend office and were directed to work from home during exempted period as per instructions issued by DOP&T, are not eligible to draw Transport Allowance during exemption period as these employees have not incurred any expenditure for commuting office.

iv. The non-entitled officers/officials, who are temporarily provided with facility of official car for commuting between office and residences throughout the whole calendar month on account of non-availability of public transport facility due to COVID-19 pandemic, are also not eligible to draw Transport Allowance.

4. This is issued with the approval of the Secretary (Expenditure).

Hindi version is attached.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to C&AG and UPSC etc. as per standard distribution list.